S. No. 192 /FS/CCE/B
Dated 25.2.13

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/DCT/22301-22600 दिनांक 19/2/2013

परिपत्र

JD (Adm)
25/2

विषयः– कोषालयों के माध्यम से विभिन्न स्कीमों का लाभार्थियों को आधार बेस भुगतान के क्रम में।

भारत सरकार द्वारा राज्य के अलवर, अजमेर एवं उदयपुर जिलों में Direct Benefit Transfer योजना दिनांक 01.01.2013 से लागू की गई है जिसके तहत चयनित योजनाओं के लाभार्थियों को आधार भुगतान पुल (APB) के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक भुगतान किया जाना है। उक्त योजना माह अप्रैल 2013 से राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

इसी संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत किये जा रहे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सिस्टम से आधार भुगतान पुल (APB) को जोड दिया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित योजनाओं में "आधार" आधारित भुगतान अलवर, अजमेर एवं उदयपुर में सफलतापूर्वक किये जा रहे हैं।

इस व्यवस्था को राज्य के समस्त कोषालयों एवं आहरण/वितरण अधिकारियों के स्तर पर भी वर्तमान इलेक्ट्रोनिक भुगतान प्रकिया के साथ–साथ प्रारम्भ किया जा सकता है। इस हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है :–

1. लाभार्थियों के डिजिटल डाटा की उपलब्धता

(i) आधार के माध्यम से भुगतान हेतु लाभार्थियों का मास्टर डाटा पे–मैनेजर साईट http://paymanager.raj.nic.in पर उपलब्ध फॉरमेट में इन्द्राज किया जा सकता है।
(ii) यदि विभाग के पास एक ही योजना के लाभार्थियों का समेकित डिजिटल डाटा उपलब्ध है तो पे–मैनेजर की साईट पर अपलोड भी किया जा सकता है।

2. लाभार्थियों के बैंक खातों व आधार नंबर की सीडिंग–

(i). संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के आधार संख्या का उनके बैंक खाते से सीडिंग करवाने हेतु डेस्टीनेशन बैंक को मैपिंग/सीडिंग फाइल उपलब्ध करवाई जा सकती है। डेस्टीनेशन बैंक वह बैंक है जिसमें लाभार्थियों के बैंक खाते हैं ।
(ii) इस हेतु पे–मैनेजर साइट पर उपलब्ध लाभार्थियों के मास्टर डाटा से भी मैपिंग/सीडिंग फाइल बनाई जा सकती है ।

26/2

4053
25/2

(iii)इस फाइल को आहरण/ वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर हस्ताक्षर कर बैंक को प्रेषित किया जाए ।

(iv)सीडिंग फाइल बनाने हेतु आहरण/वितरण अधिकारी के लॉगिन पर रिपोर्ट मैन्यू में सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

(v)एजेन्सी बैंक से संबंधित बैंक खातों हेतु सीडिंग फाइल पे–मैनेजर पर उपलब्ध मास्टर डाटा से कोषालय के स्तर पर डिजिटल साईन कर बनायी जा सकती है ।

(vi)कोषालय के स्तर पर बनाई जाने वाली सीडिंग फाइल बनाने से पूर्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जाना आवश्यक होगा कि उनके द्वारा पे–मेनेजर की साईट पर उपलब्ध संदर्भित स्कीम के लाभार्थियों के मास्टर डेटा की जांच कर ली गई है एवं वे सही पाए गए हैं ।

3. NPCI (National Payment Corporation of India) <u>एनपीसीआई से यूजर कोड व यूजर नेम प्राप्त किए जाने की प्रकिया :–</u>

(i)एनपीसीआई द्वारा योजनावार, जिलावार, ब्लॉकवार यूजर कोड एवं यूजर नेम दिए जाएंगे ।

(ii)इस हेतु जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना आवश्यक है ।

(iii).एनपीसीआई रजिस्ट्रेशन हेतु प्रपत्र स्पोन्सर बैंक के स्तर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे । प्रपत्र का प्रारूप <u>एनेक्जर –1 संलग्न</u> है ।

(iv)एक ही योजना के तहत भुगतान करने वाले विभिन्न विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों की कुल संख्या का विवरण नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। एक स्कीम के तहत भुगतान करने वाले विभिन्न विभागों के लिए समेकित आवेदन पत्र एन.पी. सी.आई. को प्रस्तुत किया जायेगा तथा एन.पी.सी.आई. से यूजर कोड एवं यूजर नाम प्राप्त करने के पश्चात संबंधित विभाग, आहरण वितरण अधिकारी को सूचित किया जायेगा।

(iv)स्पोन्सर बैंक से आशय कोष /उपकोष व आहरण वितरण अधिकारी की राजकीय लेन देन हेतु अधिकृत बैंक शाखा से है ।

(v)एन पी सी आई यूजर कोड एवं यूजर नाम की सूचना डी डी ओ द्वारा कोषालयों को दी जाएगी जो कोषालय द्वारा पे–मेनेजर पर डाली जाएगी ।

4. <u>आधार के माध्यम से भुगतान करने हेतु प्रकिया–</u>

(i)आधार के माध्यम से भुगतान (APB) हेतु कोषालयों/उपकोषालयों को फाइल भिजवाने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक होगा कि लाभार्थियों के बैंक खातों की संबंधित बैंक द्वारा आधार नम्बर के साथ 2 दिन पूर्व सीडिंग कर ली गई है।

(ii)लाभार्थियों के मास्टर डाटा में यूजर कोड, एवं एन.पी.सी.आई. द्वारा उपलब्ध करवाया गया यूजर नाम आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना जाना चाहिए।

(iii)आधार बेस भुगतान हेतु यह आवश्यक है कि एन.पी.सी.आई. द्वारा दिये गये यूजर कोड एवं यूजर नाम के साथ सही आधार नम्बर संबंधित बैंक को उपलब्ध करवाये जाये तथा बैंक खाता संख्या जिसके साथ आधार नम्बर की सीडिंग की जानी है, की अच्छी तरह जाँच कर ली जाये।

(iv)किसी भी प्रकार के गलत भुगतान अथवा फाइल रिजेक्शन (समय पर भुगतान नहीं होने) के लिए आहरण वितरण अधिकारी ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें।

(v)आधार बेस भुगतान हेतु भी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा संबंधित कोषालय/उपकोषालय को ऑनलाइन बिलों के साथ फिजिकल बिल भी वर्तमान प्रक्रिया की भांति प्रस्तुत करने होगें। कोषालयों द्वारा आधार बेस भुगतान हेतु भी वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार फाइल जेनरेट करनी होगी, लेकिन आधार बेस भुगतान हेतु प्रत्येक बिल के लिए अलग फाइल बनानी होगी।

(vi)आधार के माध्यम से भुगतान हेतु लाभार्थियों के खाते चाहे राजकीय लेन देन हेतु अधिकृत एजेन्सी बैंक में हैं अथवा अन्य बैंकों में अर्थात ई.सी.एस. एवं एन.ई.एफ.टी.के लिए एक ही बिल बनाया जाएगा एवं कोषालय स्तर पर भी भुगतान हेतु फाईल बनाते समय आधार के माध्यम से भुगतान हेतु उपलब्ध विकल्प का प्रयोग किया जाएगा ।

अतः एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) के माध्यम से कोषालयों के स्तर पर किए जाने वाले आधार बेस भुगतान करने हेतु उपलब्ध करवाई गई सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है ।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव वित्त (बजट)

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/DCT/22301–22600 दिनांक 19/2/2013
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
5. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
7. राज्य सूचना विज्ञान, अधिकारी एन.आई.सी. सचिवालय जयपुर।
8. समस्त कोषाधिकारियों/उपकोषाधिकारियों राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आधार बेस भुगतान हेतु उपरोक्तानुर कार्यवाही करने के लिए आहरण वितरण अधिकारी को सूचित करें।
9. श्री मयंक तिवारी, एडीजी, यू आई डी, नई दिल्ली
10. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

संयुक्त शासन सचिव

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 26(परिपत्र)स्था/निकाशि/13/653 दिनांकः 18 मार्च, 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
4. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया उक्त परिपत्र को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

Format of Registration for User with Sponsor Bank

User's Letter Head.

Application for affiliation with Sponsor Bank for APBS / NACH facilities

We ______________________ (Name of the User) with Registered Office / Head Office at ______________________ have agreed to participate in the Aadhaar Payment Bridge System (APBS) / National Automated Clearing House (NACH), schemes by National Payments Corporation of India (NPCI), with registered office at C9-8, RBI premises, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051, through our Sponsor Bank ______________________ (Name of Sponsor Bank) and for that purpose, we hereby provide following details to the NPCI:

1. Types of transactions sought to be put through NPCI while availing APBS / NACH services:

Sr. No.	Type of Transaction	Frequency	Approximate Volume

2. (i) We have an established Know Your Customer (KYC) /Anti Money Laundering (AML) process and we shall comply with all the Reserve Bank of India norms on KYC and AML.

   (ii) We shall offer APBS / NACH only to those customers who undergo our KYC / AML verification processes.

3. Complaints from beneficiaries, if any, relating to transactions processed through APBS / NACH will be pursued by us with the respective banks/branches in co-ordination with the Sponsor Bank.

4. We would ensure necessary funding of our accounts with our Sponsor Banks to ensure seamless flow of APBS / NACH transactions.

Date: -

Authorized Signatory of the User

Name and designation of Authorized Signatory with Company seal

--*For Office Use*--

Unique Identification Code:

Authorized Signatory of Sponsor Bank

This is a confidential document and should not be circulated without seeking permission from NPCI